भाई-बहन को बंधक बना जूतों की माला पहनाई, भाई की नाक काटी

तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर नौ जनों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

मालपुरा, (निसं)। लाम्बाहरिसिंह थाना क्षेत्र के भोपलावजी के जंगलों में भाई-बहिन को बंधक बना मारपीट करते हुए जूतों की माला पहना चाकू से नाक काटने तथा गर्म लोहे से माथे पर दागने के सोशल मीडिया पर वारयल हुए वीडियो के बाद लाम्बाहरिसिंह थाने पहुंचे पीड़ित भाई-बहिन की दी रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर तीन जनों को गिरफ्तार किया।

पीड़ित युवक कालू व बहिन मीरा निवासी मूण्डयाकलां हाल निवासी तसवारियां द्वारा दी रिपोर्ट में बताया कि बीते दिनों समाज की पंचायत के बीच झिरोता निवासी नवरतन ने उसकी बेटी सावित्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाने पर समाज की पंचायत द्वारा उसके परिवार पर आर्थिक दण्ड किया गया था तथा तय समय में दण्ड राशि देने की बात कही गई थी।

सात नवम्बर को रिण्डलिया निवासी नोरती ने दूरभाष पर भोपलावजी के यहां समाज की पंचायत में बुलाया। जब दोनों भाई-बहिन भोपलावजी पहुंचे तो समाज

समाज के बदमाशों द्वारा प्रताड़ित किए गए भाई-बहिन।

के पंचों ने पिता भोजाराम व परिवारजनों को साथ लाने की बात कहते हुए पांच दिन बाद पुनः पंचायत बुलाने की बात कही। तो पंचों के जाने के बाद वहां मौजूद झिरोता निवासी नवरतन पत्नी गीता, बेटा शंकर, बेटी सावित्री सहित भोपलावजी निवासी पारस व संतरा

- **समाज के पंचो के जाने के बाद कुछ लोग भाई-बहिन को जंगल में ले गए और यातनाएं दीं**
- **पीड़ित परिवार पर लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया**

एवं लाम्याजूनारदार निवासी गोरधन मोग्या ने दोनों भाई-बहिन को पकड़ जबरन मोटरसाईकिल पर बिठा कर जंगल में ले गये। जहां बंधक बना मारपीट करते हुए जूतों की माला पहना गर्म लौहे की राड से माथे पर दाग चाकू से नाक काट उसे शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी।

सम्पूर्ण घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आठ नवम्बर को उक्त लोग दोनों भाई-बहिन को डरा धमकाकर मालपुरा कोर्ट पहुंचे जहां स्टाम्प पर जबरन लिखाई पढ़ाई भी की गई। लोकलाज से बचने के लिए दोनों भाई-बहिन अपने रिश्तेदारों के यहां मैवदा चले गये।

रिश्तेदारों के साथ नौ नवम्बर को लाम्बाहरिसिंह थाने पहुंचे पीड़ित भाई-बहिन ने सारी आप बीती एएसपी राकेश कुमार बैरवा, डीवाईएसपी सुशील मान व एसएचओ भागीरथ सिंह को बताई। मारपीट व मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं का वीडियो देखने तथा मामला ईलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खिया बनने के बाद पुलिस ने दोनों भाई-बहिन का मेडिकल करवा बयान ले मामला दर्ज करते हुए देर शाम तक तीन जनों को गिरफ्तार किया।

डीवाईएसपी सुशील मान ने बताया कि वीडियो में दिख रहे महिला-पुरूषों की पहचान कर सम्पूर्ण घटनाक्रम की सभी पहलुओं पर जांच कर शेष आरोपियों की गिरफतारी के लिए भी प्रयास जारी है।

प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने पर नौ लाभार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज

कई मर्तबा समझाइश के बाद भी चवा ग्राम में नहीं बनवाए आवास

बाड़मेर, (निसं)। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवास निर्माण नहीं करवाने पर बाड़मेर के चवा ग्राम पंचायत निवासी नौ लाभार्थियों के खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है।

आवास निर्माण के लिए नोटिस जारी करने एवं कई मर्तबा समझाइश के उपरांत भी आवास निर्माण नहीं करने पर यह कार्यवाही की गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चवा ग्राम पंचायत में गंवरी देवी पत्नी भीखाराम, लक्ष्मी देवी पत्नी मेघाराम, तुलसी देवी पत्नी टीकमा राम, देवी पत्नी रामा राम, कमला पत्नी पुखराज, पालू देवी पत्नी पूरा राम, पप्पू देवी पत्नी विशनाराम, जेठी देवी पत्नी तेजा राम एवं टीपू देवी पत्नी ठाकरा राम के आवास स्वीकृत हुए थे। इनके खाते में राशि हस्तांतरित होने के बाद आठ लाभार्थियों ने दो किश्तों के 60-60 हजार एवं एक लाभार्थी एक किश्त के तौर पर 15 हजार रूपए उठा लिए। इसके उपरांत भी इन्होंने आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं करवाया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्नोई ने बताया कि इन लाभार्थियों को नोटिस जारी करने के साथ जन प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों के माध्यम से समझाइश की गई। इसके बावजूद इनकी ओर से न तो संतोषनक जबाव दिया गया और न ही आवास निर्माण करवाया गया। इसको गंभीरता से लेते हुए उनके निर्देश पर चवा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने इन लाभार्थियों के खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन में सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं गबन का मामला दर्ज करवाया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण करवाने को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। अपूर्ण एवं आवास शुरू नहीं करने वाले लाभार्थियों से लगातार समझाइश की जा रही है। उनके मुताबिक जन प्रतिनिधियों के माध्यम से समझाइश करने के साथ संबंधित बीट कांस्टेबल ने भी मौके पर पहुंचकर लाभार्थियों को आवास निर्माण करवाने के लिए पाबंद कर रहे है। उन्होंने बताया कि जिले के अन्य स्थानों पर आवास निर्माण करने एवं सरकारी राशि का गबन अथवा दुरूपयोग करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने के निर्देश संबंधित विकास अधिकारियों को दिए गए है।

गिरदावर को 3500 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा

बयाना में एसीबी की कार्रवाई

एसीबी ने आरोपी गिरदावर को गिरफ्तार किया।

बयाना, (निस)। शहर में बुधवार को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के भू राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र धाकड़ को 3 हजार 500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के एडिशनल एसपी महेश मीणा ने बताया कि सादपुरा निवासी लव कुमार से उसके पिता की मृत्यु के बाद नामांतरण दर्ज हुआ। तस्दीक कराने की एवज में सुरेंद्र कुमार धाकड़ गिरदावर ने नामांतरण दर्ज तस्दीक करने की एवज में 3500 रिश्वत मांगी।

इस रिश्वत की सत्यापन कराए जाने के बाद एसीबी ने बयाना में बुधवार की रात कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेंद्र गिरदावर को रिश्वत की राशि सहित गिरफ्तार किया। एसीबी की इस कार्रवाई से सरकारी महकमों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों ने हलचल मच गई। आरोपी खिलाफ विभिन्न धाराओं मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

रिफाइनरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई

बाड़मेर, (निसं)। जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने निषेधाज्ञा जारी कर एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्डवाडा व सांभरा तहसील पचपदरा की चारदिवारी के तीन किलोमीटर क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

उन्होंने बताया कि एचपीसीएल आरआरएल रिफाइनरी ग्राम साजियाली, रूपजी कण्ठवाडा व सांभरा तहसील पचपदरा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का अति महत्वपूर्ण संस्थान है। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने की पूर्ण आशंका है। उक्त परिस्थितियों पर विचार एवं पूर्ण सन्तुष्ट होने के बाद इस प्रकार के आदेश प्रसारित किए गए। इस दौरान पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे तथा लोक शान्ति भंग करने वाले जूलूस, प्रदर्शन, पुतला जलाना, नारेबाजी करना, भडकाऊ भाषण व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं हो सकेगा।

मावठ से किसानों के चेहरे खिले, सर्दी बढ़ी

गेहूं, सरसों और चना की फसल को बारिश से भारी राहत मिली

चाकसू, (निसं)। मंगलवार को देर रात को क्षेत्र में बूंदाबांदी के साथ रिमझिम बरसात हुई जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे व ठंडक में बढ़ोतरी हुई। किसानों ने कहा है कि इस बरसात से भी राहत मिल सकेगी। उपखंड क्षेत्र में हुई बारिश से किसानों को लाखों का फायदा हुआ है। किसानों की मानें तो फसलों पर बारिश की बूंदें सोना बनकर बरसी हैं ऐसे में बारिश से रबी की खेती और ज्यादा संवर सकेगी। खासकर गेहूं की फसल के साथ सरसों और चना को भी बारिश से भारी राहत मिली है।

चाकसू उपखंड के किसान गोपाल, नाथूलाल माली आदि ने बताया कि मौसम के गर्म होने के कारण किसानों को गेहूं की फसल के पकने को लेकर चिंता की स्थिति बनी हुई थी लेकिन मंगलवार शाम को मौसम ने

मावठ के बाद फसल को देखता किसान।

अचानक पलटी खाई और कुछ समय बाद बारिश की हल्की बूंदें पड़नी शुरू हो गई। रात होते-होते बादल पूरे इलाके में बरसे। किसान शंकर सैनी ने बताया कि रात को हुई बारिश से इलाके के किसानों को फसलों की सिंचाई पर डीजल बिजली खर्च के रूप में होने वाली लागत का फायदा हो गया।

कांस्टेबल निलम्बित

जयपुर, (कासं)। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर पाली जिले के आनन्दपुर कालू थाना क्षेत्र के बलाड़ा गांव की अस्थायी चौकी में तैनात हैड कांस्टेबल उमराव खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मिश्रा ने बुधवार को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद वृद्धा को लात मारने वाले हैड कांस्टेबल को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए।

ऑनलाइन ठगी

चाकसू, (निसं)। शातिरों ने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 1 लाख 4747 रुपये ठग लिए। पुलिस के अनुसार कस्बा स्थित वैशाली नगर कॉलोनी निवासी मुरारी शरण शर्मा चाकसू विद्युत विभाग में कार्मिक है। पीड़ित का बचत खाता एयू बैंक में खुला हुआ है। उन्होंने कुछ दिनों पूर्व बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था। जिसका पिन जनरेट करने के लिए गूगल अकाउंट पर लिंक क्लिक करने पर मोबाइल हैक होने के बाद बैंक अकाउंट और कार्ड हैक हो गया। जिसके बाद बैंक से 97632 और 7115 रुपए निकलने का मैसेज मिला।

दिव्यांग ने ए.ई.एन. के खिलाफ मामला दर्ज करवाया

उनियारा, (निसं)। उनियारा में एक दिव्यांग ने उनियारा विद्युत विभाग एईएन बृजराज मीणा के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर उनियारा उपखंड अधिकारी नेहा मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई।

उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में दिव्यांग शंभू दयाल बैरवा वह 3 नवंबर को सुबह 10:30 बजे भाई सरदारमल बैरवा उनियारा ए.ई एन से मिलने गए थे। घरेलू कनेक्शन करवाने के लिए फाइल लगाकर उसका डिमांड जमा करवा दिया था। जिसका आर्डर 17 अक्टूबर 2022 को निकाल दिया गया था। लेकिन कनेक्शन नहीं होने से वह दोबारा से मिलने खिड़की पर पहुंचा तो उसके साथ दुर्व्यवहार कर अपमानित शब्दों का प्रयोग किया।

उसी दौरान विभाग के कर्मचारी द्वारा भी उसको बाहर निकालने के लिए कहा गया तथा विधुत विभाग के ए.ई .एन बृजराज मीणा द्वारा गाली गलौज करने एवं मारपीट करने की धमकी देने का गंभीर आरोप भी लगाया है। वही कार्यवाही नहीं होने से परेशान दिव्यांग ने अंत में उनियारा उपखंड अधिकारी को न्याय के लिए गुहार लगाई। मामले की जानकारी फैलने पर क्षेत्र के दिव्यांगो में रोष व्याप्त है।

वॉट्सऐप पर भाई को सुसाइड नोट भेजकर लगाया फंदा

श्रीमाधोपुर, (निसं)। फाइनेंस कंपनी चलाने वाले युवक ने मंगलवार रात अपने किराए के मकान में सुसाइड कर लिया। मरने से पहले अपने बड़े भाई को व्हाट्सऐप पर सुसाइड नोट भेजा। जिसमें दो युवकों पर कस्टमरों को 15 लाख रुपए पेमेंट नहीं करने का दबाव बनाकर रूपए डुबाने व उससे उधार लिए गए 17 लाख रूपए नही चुकाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामला सीकर के श्रीमाधोपुर का है।

श्रीमाधोपुर थाने के एएसआई जयप्रकाश ने बताया कि 24 साल के मनीष यादव पुत्र बनवारीलाल यादव ने कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। श्रीमाधोपुर की ढाणी पाट्यवाली में नाथूराम सैनी के मकान में किराए पर रहता था।

- **दो युवकों द्वारा उधार लिए 17 लाख रूपए नहीं चुकाने व मारने की घमकी देने का मामला**
- **भाई ने दी पुलिस को जानकारी, पंखे से लटका मिला युवक**

परिवार शाहपुरा पावटा के पास भाभरू में रहता है। मृतक अजीतगढ़ रोड पर दीपक निधि फाइनेंस के नाम से माइक्रो फाइनेंस की कंपनी चलाता था। मृतक के बड़े भाई ने बुधवार सुबह सुसाइड नोट देखकर अपने जीजा सुरेश यादव निवासी घासीपुरा मनोहरपुर को फोन किया। सुरेश ने श्रीमाधोपुर में मनीष की फाइनेंस में काम करने वाले कौशल चौधरी को फोन कर जानकारी दी जिस पर कौशल जालपाली पहुंचा जहां पुलिस की मौजूदगी में देखा तो मनीष का शव पंखे से लटका था। पुलिस ने कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। मृतक के भाई दिनेश ने आरोपी सोनू खटाना, शिंभू खटाना और मुन्ना गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

युवक ने सुसाइड नोट में सोनू खटाना व उसके भाई शिंभू खटाना पर उसके कस्टमरों को पेमेंट नहीं देने का दबाव बनाने, शाहपुरा के मार्केट में उसके 15 लाख रुपए डुबाने और जान से मारने की धमकी देकर देने का आरोप लगाया है। मामले में यादव समाज के लोग बुधवार सुबह श्रीमाधोपुर सीएचसी पहुंचे और मांग की है कि मृतक मनीष यादव के रुपए आरोपियों से दिलवाकर गिरफ्तार किया जाए।

गला रेत हत्या के मामले में आजीवन कारावास

आठ साल की सुनवाई के बाद अपर सैशन न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

बीकानेर, (कासं)। छतरगढ़ में एक युवती की गला रेत कर हत्या करने के मामले में स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2014 के इस मामले में अदालत ने आईपीसी की दो धाराओं के तहत अभियुक्त को सजा सुनाई है।

दस दिसम्बर 2014 को छतरगढ़ में रहने वाले अतु खां ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी बेटी बशीरा की शौकत नामक युवक ने हत्या कर दी है। बशीरा गाय को संभाल रही थी, तभी शौकत ने उसे पकड़कर चाकू से उसका गला रेत दिया। जिससे वह मौके पर ही गिर गई। उसे संभाला तो मृत थी। इस मामले में पुलिस ने शौकत को गिरफ्तार कर लिया था।

पिछले आठ साल से इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी। अब अपर सैशन न्यायाधीश संख्या

- **बशीरा का हत्यारा पड़ौसी और रिश्तेदार था**

सात ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुना दी है। बशीरा की हत्या करने वाला युवक शौकत न सिर्फ उनका पड़ौसी था बल्कि रिश्तेदार भी था। दोनों के बीच हुई अनबन के चलते उसकी हत्या कर दी गई। शौकत को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ दस हजार रूपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं आईपीसी की धारा 450 के तहत सात वर्ष की सजा दी गई है। इस धारा के तहत तीन हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हरियाणवी डांसर का प्रोग्राम नहीं देख पाने पर तोड़ी कुर्सियां

शरद महोत्सव में प्रांजल दहिया को देखने आए हजारों लोग

धौलपुर, (निसं)। बलम थानेदार सॉन्ग फेम हरियाणवी डांसर प्रांजल दहिया के कार्यक्रम के दौरान धौलपुर पुलिस को मेला ग्राउंड में मंगलवार रात खासी मशक्कत करनी पड़ी। मेला ग्राउंड में नगर परिषद द्वारा शरद महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मंगलवार को हरियाणवी धमचक नाइट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरियाणवी डांसर प्रांजल दहिया धौलपुर पहुंची। हरियाणवी डांसर के स्टेज पर आते ही लोग नगर परिषद द्वारा लगाई गई बल्लियों पर चढ़ ने लगे। मेले में अव्यवस्थाओं को देखते ही मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। कार्यक्रम के बीच में जहां जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने लोगों से पांडाल के लिए लगी गई बल्लियों पर ना चढ़ने की अपील की, तो वही शरारती तत्वों के उत्पात मचाने पर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस की मदद से कुछ लोगों को मेले से राउंड ऑफ कर लिया। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर पूरा मेला ग्राउंड जाम हो

कार्यक्रम के बाद मेला ग्राउंड में टूटी पड़ी कुर्सियां।

गया। पसंदीदा स्टार का डांस ना देख पानी से नाराज लोगों ने अतिथियों के लिए रखी गई कुर्सियों में जमकर तोड़फोड़ कर दी।

कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद द्वारा सुरक्षा के लिए कोई विशेष इंतजाम

- **मेले में अव्यवस्था को देखते ही कलेक्टर अग्रवाल और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला**

नहीं किए गए। हजारों की तादाद में लोग मेला ग्राउंड पहुंच गए। लोगों की भीड़ को देखते हुए महज 200 मीटर की पैदल दूरी एक से डेढ़ घंटे में पूरी हुई। कार्यक्रम के दौरान बनाई गई पत्रकार दीर्घा में पार्षदों के मिलने वाले लोगों को बैठा दिया गया। इसी दौरान पत्रकार एक कोने में खड़े होकर फोटो वीडियो कवरेज करने लगे। तभी नगरपरिषद के एक जनप्रतिनिधि ने पुलिसकर्मियों को इशारा कर पत्रकारों को हटाने के लिए पुलिस से कह दिया। जिस पर पुलिसकर्मियों ने कुछ पत्रकारों को धक्के देकर हटा दिया। जिसके बाद पत्रकार भी कार्यक्रम छोड़कर बीच में ही चले गए।

चार तस्करों को सजा सुनाई

भीलवाड़ा, (निसं)। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने डोडा-चूरा तस्करी के मामले में चार तस्करों को 6-6 साल के कठोर कारावास व 60-60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि तत्कालीन सदर थाना प्रभारी 14 जुलाई 2017 को गश्त के दौरान सुवाणा बाईपास पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक बोलेरो को पुलिस ने रुकवाकर चेक किया। उसमें चार व्यक्ति बैठे थे।

पूछताछ में चालक ने खुद को महुआ, मांडलगढ निवासी कृष्ण गोपाल पुत्र लादू लौहार, उसके साथी सत्यनारायण पुत्र मथुरा जाट वि-लपुरा, रतन पुत्र रामचंद्र गुर्जर गोपालपुरा पारसोली व मुकनगढ़ मांडलगढ़ निवासी सांवरमल पुत्र राधाकिशन मीणा बताया। बोलेरो में दो बोरे रखे थे, जिनके बारे में वे कोई जवाब नहीं दे पाये। थाना प्रभारी ने बोरे खोलकर चेक किये तो उनमें डोडा-चूरा मिला। वजन करवाने पर 39 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने डोडा-चूरा सहित बोलेरो बरामद कर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा
(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)
दाहोद रोड़, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
Mo. No. 9461118470 / 9414319459 Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com, Visit us : www.mpuat.ac.in
क्रमांक : एफ( )/कृअके/2022-23/483-87 दिनांक 09.11.2022

निविदा सूचना (2022-23)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक/ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक/ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 24.11.2022 दोपहर 1.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदायें उसी दिन दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जाकर अपरान्ह 2.30 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, बोरवट, बांसवाड़ा (लगभग 16 हेक्टर) तथा फल अनुसंधान केन्द्र, जलदाय विभाग के पीछे, बांसवाड़ा (लगभग 7 हेक्टर) पर किये जाने वाले विभिन्न कृषि कार्य	755000/-	15,100/-	500/-

संभागीय निदेशक अनुसंधान